न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

———————

अपील संख्या :– 176/2005 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. मूलचन्द पुत्र कन्हीराम जाति यादव (अहीर)

2. मातादीन पुत्र कन्हीराम जाति यादव (अहीर)

3. अमीलाल पुत्र कन्हीराम जाति यादव (अहीर)

निवासीयान ग्राम जालाबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:—— अपीलांटान

बनाम

1/1 मातादीन पुत्र रामलाल जाति अहीर

1/2/1 राजकुमार पुत्र ग्यारसाराम जाति अहीर

1/2/2 सतवीर पुत्र ग्यारसा जाति अहीर

1/2/3 संजय कुमार पुत्र ग्यारसाराम जाति अहीर

1/3 विशम्भर दयाल पुत्र रामलाल जाति अहीर

निवासीयान ग्राम जालाबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:———————— रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 13.7.2005

———————————————————

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री रामसिंह यादव

2. वकील रेस्पो0 :– श्री संजीव जैन

निर्णय दिनांक 29.11.2021

1 यह अपील विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 228/2001 अन्तर्गत धारा 183 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 13.7.2005, जिसके द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत अदालत में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0 टी0 एक्ट पेश कर निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 202 रकबा 4 बीघा तथा खसरा नम्बर 215 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम मनेठी तहसील मुण्डावर वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है,जिसको वादीगण खुद काश्त करते चले आ रहे हैं । खसरा नम्बर 202 रकबा 4 बीघा के जानिब पूर्व प्रतिवादी का खेत खसरा नम्बर 201 स्थित तथा खसरा नम्बर 215 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के जानिब पश्चिम प्रतिवादी का खेत खसरा नम्बर 213 स्थित है । इस प्रकार वादीगण के दोनों खेत से प्रतिवादी के खेत लगते हुये हैं । प्रतिवादी ने वादीगण के खेत खसरा नम्बर 202 की पूर्वी तथा खसरा नम्बर 215 की पश्चिमी डोल तोडकर अपने खेतों में मिला कर जबरन कब्जा कर लिया है । वादीगण ने अपने खर्चे से पैमायश कराई तो खसरा नम्बर 202 में से 5 गट्ठा तथा खसरा नम्बर 215 में से 01 गट्ठा रकबा मौके पर प्रतिवादी के खेतों में मिला हुआ पाया गया । अतः वाद पत्र डिक्री किया जाकर वादीगण को उसकी आराजी प्रतिवादी से दिलाई जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 13.7.2005 द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर वादीगण ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट्स ने तर्क दिये कि प्रकरण से सम्बन्धित वाद पूर्व में उपखंड अधिकारी, किशनगढबास के यहां पेश किया था, जो निर्णय दिनांक 16.7.1991 द्वारा हम वादीगण के पक्ष में डिक्री किया गया था । इसकी अपील प्रतिवादीगण ने अदालत हाजा में पेश की थी, जो अपील निर्णय दिनांक 22.2.1996 द्वारा स्वीकार कर प्रकरण तहत अदालत को इस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि अपीलांट द्वारा पेश की गई रिपोर्ट प्रदर्श डी–1 को असल प्रतिवादी को साबित कराने के लिये पैमायशकर्ता हरदयाल कानूनगो को तलब करके उसके बयान ले, यदि किसी कारणवश हरदयाल कानूनगो के बयान न हो सके तो दोनों पक्षों की सहमति से विवादित भूमि की पैमायश कराई जाकर और दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर इस प्रकरण का पुनः निस्तारण करें । अदालत हाजा के उक्त निर्णय दिनांक 22.2.1996 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील पेश की गई थी, जो अपील माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 31.8.2000 के द्वारा खारिज की गई थी । इस प्रकार अदालत हाजा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 22.2.1996 अंतिम हो गया । इसके बाद तहत अदालत ने हरदयाल शर्मा कानूनगो के बयान लिये । अन्य गवाहों के भी बयान लिये गये । तहसीलदार, मुण्डावर को भी विवादित भूमि की पैमायश कराने के आदेश दिये, परन्तु तहसीलदार मुण्डावर ने अपने पत्रांक 3586 दिनांक 1.6.2005 से तहत अदालत को अवगत कराया था कि ग्राम मनेठी का नक्शा लट्ठा जीर्ण शीर्ण हालत में है, जिसके कारण विवादित भूमि की पैमायश किया जाना सम्भव नहीं है । इसके बाद तहत अदालत ने हमारा वाद पत्र गलत तौर पर खारिज कर दिया । विवादित आराजी की पैमायश पूर्व में दिनांक 17.7.1987 को की गई थी । उक्त पैमायश रिपोर्ट के अलावा तहत अदालत में अन्य कोई रिपोर्ट विश्वास किये जाने योग्य नहीं थी, परन्तु साजशी तौर पर हमारी अनुपस्थिति में दिनांक 25.12.1987 को पैमायश रिपोर्ट तैयार की गई और इसी रिपोर्ट के आधार पर हमारा वाद पत्र खारिज कर दिया गया, जो विधिसम्मत नहीं है । पी0 डब्ल्यू0 5 हरदयाल ने अपने बयानों में माना है कि उसने खसरा नम्बर 213 व 215 की पैमायश नहीं की थी । उसने अपने बयानों में यह भी स्वीकार किया था कि उसने पैमायश मौजूदा बंदोबस्त के एक्सपार्चा (विलेज मैप) के आधार पर नहीं की थी, बल्कि पुराना नक्शा व अक्स पार्चा के आधार पर की थी । इस प्रकार स्पष्ट है कि उसने विवादित आराजी की पैमायश मौजूदा बंदोबस्त के एक्स पार्चा व मौजूदा बंदोबस्त में विवादित आराजी खसरा नम्बर 202, 201, 213, 215 की जमाबन्दी में अंकित क्षेत्रफल के आधार पर पैमायश नहीं की थी , परन्तु तहत अदालत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया । तहत अदालत ने मुन्शीलाल द्वारा तैयार की गई पैमायश रिपोर्ट एवं उसके बयानों पर विश्वास नहीं करके कानूनी गलती की है । तहत अदालत ने अदालत हाजा द्वारा पूर्व में निर्णय दिनांक 22.2.1996 में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्देशों की पालना नहीं की है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पों0 का कथन है कि हमारे और अपीलांट के खेतों के मध्य 50 सालों से डोल स्थित है और वर्तमान में भी डोल कायम है । हमने कोई डोल नहीं तोडी और ना ही अपीलांट का कोई रकबा दबाया है । दिनांक 17.7.1987 को जो पैमाईश कराई गई थी, वह एकपक्षीय थी तथा मौके अनुसार सही नहीं बनाई गई थी । उक्त पैमाईश मुस्तकिल बिन्दू से नहीं की गई थी । इसलिये हमने सही पैमाईश दिनांक 25.12.1987 को कराई थी । इस रिपोर्ट में कोई डोल तोडी हुई नहीं बताई है । साथ ही अपीलांट का कोई रकबा भी हमारी भूमि में मिला हुआ होना नहीं बताया है । इस प्रकार सिद्ध है कि वादीगण अपीलांट ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया था, जो सही तौर पर खारिज किया गया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दू डोल तोड कर रकबा दबाने से सम्बन्धित है । जिसके निस्तारण हेतु पक्षकारान की आराजी की पैमाईश भी कराई गई थी, परन्तु पक्षकारान उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उक्त पैमाईश सभी पक्षकारान की मौजूदगी में नहीं कराई गई थी । हमारी सुविचारित राय है कि सभी पक्षकारान की मौजूदगी में पैमाईश करवा कर प्रकरण का निस्तारण किया जाना सम्भव है । ऐसी स्थिति में हम प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.7.2005 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो प्रकरण में उभयपक्षों की मौजूदगी में तहसीलदार से पैमायश करावें । तत्पश्चात उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 3.1.2022 को उपस्थित हों ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर